बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

संoसंo :– 2/अoप्रo–7–08/2022 2533 /पटना, दिनांक :– 20.9.24

श्री सीताराम सहनी, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद को निगरानी विभाग द्वारा दिनांक 22.08.2022 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–042/2022 दिनांक 22.08.2022 धारा–7(a) भ्रoनिoअधिo, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) दर्ज कर न्यायिक हिरासत में आदर्श कारा बेउर, पटना भेजे जाने के कारण अधिसूचना संख्या–647 सह–पठित ज्ञापांक 648 दिनांक 28.03.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क),(ग) एवं 9(2)(क) के तहत श्री सहनी को दिनांक 22.08.2022 के प्रभाव से निलम्बित किया गया।

2. कारा से रिहा होने के पश्चात श्री सीताराम सहनी द्वारा दिनांक 05.04.2023 के पूर्वाह्न में अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया गया। श्री सहनी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(i) के तहत दिनांक 05.04.2023 के पूर्वाह्न से श्री सहनी का योगदान स्वीकृत किया गया। चूँकि उपर्युक्त संदर्भित अधिसूचना संo 647 सहपठित ज्ञापांक 648 दिनांक 28.03.2023 द्वारा श्री सहनी को नियम 9(2)(क) के साथ–साथ 9(1)(ग) के तहत भी निलम्बित किया गया है। अतः श्री सहनी को दिनांक 05.04.2023 को योगदान के पश्चात पुनः निलम्बित किया गया।

3. श्री सहनी के विरूद्ध कदाचार के गंभीर आरोपों को दृष्टिपथ में रखते हुए विभागीय संकल्प संo 1157 दिनांक 29.04.2024 के द्वारा मुख्य जॉच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। मुख्य जॉच आयुक्त के आदेश दिनांक 28.05.2024 द्वारा इस विभागीय कार्यवाही को श्री संजय कुमार अग्रवार, सचिव, कृषि विभाग–सह–जॉच आयुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया। वर्तमान में श्री सहनी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सचिव, कृषि विभाग–सह–जॉच आयुक्त के अधीन संचालित है।

4. श्री सहनी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 12.08.2024 में लगातार दो वर्षों से निलंबित रहने के कारण अपने पारिवारिक आर्थिक समस्याओं को इंगित करते हुए जीवन निर्वाह भता में अधिकतम वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है।

5. श्री सहनी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में मामले की समीक्षोपरान्त इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निर्णय में विलम्ब की संभावना को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10(1)(i) में निहित प्रावधानों के तहत श्री श्री सहनी को प्रदत जीवन निर्वाह भत्ता में उनके निलंबन अवधि 01 वर्ष पूरा होने की तिथि से 50 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19/09/24

(डॉo फतेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@nic.ir

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–7–08/2022 2533 /पटना, दिनांकः– 20.9.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/09/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–7–08/2022 2533 /पटना/दिनांकः– 20.9.24

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/09/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–7–08/2022 2533 /पटना/दिनांकः– 20.9.24

प्रतिलिपिः– श्री सीताराम सहनी, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति निलंबित मुख्यालयः–अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/09/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–7–08/2022 2533 /पटना/दिनांकः– 20.9.24

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/09/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–7–08/2022 2533 /पटना/दिनांकः– 20.9.24

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/09/24
संयुक्त सचिव